अति आवश्यक/आज ही

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प.1(9) चि.स्वा./ग्रुप–2/2011

जयपुर, दिनांक : 23.12.2011

श्री आर. सी. अग्रवाल,
महाप्रबन्धक,
उत्तर पश्चिमी रेल्वे।

विषयः– राज्य के सेवारत चिकित्सकों द्वारा सामूहिक कार्य के बहिष्कार करने से उत्पन्न स्थिति में आपके सहयोग से वैकल्पिक अत्यावश्यक चिकित्सकीय सुविधाऐं उपलब्ध करवाने के संबंध में।

संदर्भः– मा. मुख्यमंत्री महोदय की समीक्षा बैठक दिनांक 23.12.2011

राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में पदस्थापित सेवारत चिकित्सकों द्वारा वेतन, पदोन्नति व अन्य सेवा शर्तों के संबंध में पिछले कुछ समय से राज्य सरकार को ज्ञापन देकर इनमें सुधार की मांग की जा रही थी। राज्य सरकार के स्तर पर इस संबंध में कई बैठकें हुई तथा सेवारत चिकित्सकों की मांगों के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते इनकी अधिकाशं मांगें मान लेने के बाबजूद भी सेवारत चिकित्सकों के द्वारा सामूहिक रूप से दिनांक 21.12.2011 से कार्य का बहिष्कार कर दिया गया है। प्रदेश में सेवारत चिकित्सकों के अनिश्चितकालीन सामुहिक अवकाश से उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए व्यापक जनहित में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण अधिनियम (RESMA) लागू कर दिया गया है। राज्य सरकार ने आम जनता को चिकित्सा सुविधाऐं सुचारू रूप से उपलब्ध कराने के लिये निम्नानुसार आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाऐं की हैं :–

- मेडिकल कॉलेजों से मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स व गायनी जैसे आवश्यक विषयों के चिकित्सकों की सेवायें जिला मुख्यालयों के अस्पतालों में उपलब्ध करायी जा रही है।
- जिलो में उपलब्ध आयुष चिकित्सकों, सेवानिवृत्त चिकित्सकों, केन्द्रीय सेवाओं व समाज सेवी संस्थाओं की सेवाऐं ली जा रही हैं।
- निजी अस्पताल ओपीडी, आपातकालीन एवं जांच सुविधाओं हेतु अधिकृत किया गया है। इनकी परामर्श व नैदानिक सेवाओं का व्यय आर.एम.आर.एस. द्वारा किया जा रहा है।
- निजी चिकित्सलायों में भी अस्थायी निःशुल्क दवा वितरण केन्द्र स्थापित किये गये है। निजी चिकित्सालय में लिखी गयी जेनेरिक दवाइयां राजकीय चिकित्सालय के दवा वितरण केन्द से निःशुल्क दी जा रही है।
- इन्टर्नस् छात्रों को राजकीय अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों की मदद के लिए भेजा गया है।
- नवनियुक्त 570 चिकित्सकों का पदस्थापन किया गया, जिसमें 100 से अधिक चिकित्सकों ने कार्यभार ग्रहण किया है।
- सीमावर्ती राज्यों के अस्पतालों में गम्भीर रोगियों को एम्बुलेंस/विशेष वाहन से भिजवाकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए है। जरूरत होने पर जिला कलेक्टर विशेष व्यवस्था हेतु पृथक से आर. ए. एस. अधिकारी भी इस कार्य हेतु लगा सकते है। इस संदर्भ में समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

प्रदेश में चिकित्सा सुविधाऐं उपलब्ध करवाने हेतु आज मा. मुख्यमंत्री महोदय से आपकी वार्ता हुई एवं आपके द्वारा यथोचित सहयोग देने का आश्वासन दिया गया है। इसी क्रम में आपसे राज्य सरकार की निम्न अपेक्षाऐं हैः–

1. आपके अधीन समस्त चिकित्सालयों की सूची व इनमें उपलब्ध सुविधाऐं यथा बहिरंग मरीजों हेतु क्षमता, बैड् स्ट्रेन्थ, ऑपरेशन थियेटर, आई. सी. यू., विशेषज्ञों की उपलब्धता आदि की सूचना

6

आज ही उपलब्ध करावें। जिससे हडताल अवधि के दौरान आम मरीजों को आपके चिकित्सालयों के माध्यम से 24X7 सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

2. राज्य सरकार ने स्वयंसेवी/निजी अस्पतालों को ओ. पी. डी., आपातकालीन एवं जांच सुविधाओं हेतु अधिकृत किया है, आप द्वारा भी उक्त सुविधाओं को उपलब्ध करवाये जाने की अपेक्षा है।

3. आमजन की सुविधा हेतु आपके चिकित्सालय में भी एक कमरे में अस्थाई निःशुल्क दवा वितरण केन्द्र स्थापित किया जा सकता है। जिसमें राज्य सरकार के फार्मासिस्ट द्वारा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही निःशुल्क जैनरिक दवाऐं ओ. पी. डी. व आपातकालीन रोगियों को दी जा सकेगी (जेनरिक दवाओं की सूची संलग्न है)। संबंधित फार्मासिस्ट द्वारा उपलब्ध जैनरिक दवाओं की सूची व डुप्लीकेट प्रिस्क्रेप्शन पर्ची आपके चिकित्सकों को उपलब्ध कराई जायेगी, जिससे उन्हें आमजन को दवा लिखने में सुविधा रहें।

4. आपके संस्थान द्वारा प्रसव सुविधा उपलब्ध होने पर जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आप आम प्रसूताओं को जननी सुरक्षा योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाये। इसी प्रकार आपसे अपेक्षा है कि जटिल प्रसव के मामलों में रेफर किये जाने पर सिजेरियन सेक्शन सुविधा उपलब्ध कराई जाये। दवाऐं आदि राज्य सरकार द्वारा स्थापित अस्थाई निःशुल्क दवा वितरण केन्द्र से उपलब्ध करवाई जायेगी।

5. आपके चिकित्सालयों से सेवानिवृत्त चिकित्सकों की सेवाऐं राज्य के सिविल होस्पीटलों में उपलब्ध करवाये जाने पर चिकित्सा अधिकारी के लिए 2000/– रूपए प्रतिदिन व विशेषज्ञ चिकित्सक के लिए 3000/– प्रतिदिन का भुगतान उसी दिन कर दिया जावेगा। रात्रिकालीन डयूटी हेतु 500/– प्रतिदिन अतिरिक्त दिये जायेंगे।

6. आपके विभाग के अन्य राज्यों में उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों (Specilist) की सेवाऐं भी इस हेतु लिया जाना उचित होगा। कृपया इस विशेष परिस्थिति में अधिकाधिक विशेषज्ञ उपलब्ध करावें।

7. इस संबंध में जिला कलेक्टर्स व जिला पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देशित किया जा रहा है कि वे स्थानीय स्तर पर आपके अधिकारियों एवं चिकित्सा संस्थान प्रभारियों से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक व्यवस्थाऐं यथा सुरक्षा, परिवहन, ठहरने–खाने की व्यवस्था उपलब्ध करायें। आपसे अपेक्षा है कि आप भी उक्त निर्देश अपने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रसारित कराये जिससे वे जिला स्तर पर समन्वय स्थापित कर आमजन को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में राज्य सरकार को सहयोग प्रदान कर सके।

8. इस हेतु राज्य स्तर पर 24X7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। **नियन्त्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 2225624 एंव 2225000 फेक्स नम्बर 0141–2229858 हैं। प्रत्येक जिला स्तर पर भी जिला कलेक्टर स्तर पर नियंत्रण कक्ष** स्थापित है।

9. राज्य के सभी संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स की सूची मय टेलीफोन नम्बर, इस पत्र के साथ संलग्न है।

राज्य स्तरीय सम्पर्क सूत्र :–

श्री बी. एन. शर्मा, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग 98290–50123
डा. समित शर्मा, प्रबन्ध निदेशक, आर. एम. आर. सी. एवं नोडल ऑफिसर, 98285–96446
डा. बी. आर. मीणा, निदेशक (जन स्वास्थ्य) – 98291–64678
श्री दिनेश गुर्जर, कमाण्डेण्ट, बी. एस. एफ. – 94607–57316
डा. जी. सी. मीणा, चीफ हैल्थ डायरेक्टर, रेल्वेज – 90011–95501
श्री नन्द किशोर, लेफ्टिनेन्ट कर्नल, भारतीय सेना – 94625–44508

संलग्न : निःशुल्क जैनरिक दवाओं की सूची

(एस. अहमद)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
4. उप सचिव एवं निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
5. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक को समन्वय स्थापित कर आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध कराने हेतु।
6. मिशन निदेशक, एन. आर. एच. एम.।
7. प्रबन्ध निदेशक एवं नोडल ऑफिसर, राजस्थान मेडिकल सर्विस कारपोरेशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर— टेलीफोन नम्बर — 0141—5110736 मोबाईल — 98285—96446
8. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर
9. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
11. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
12. प्रभारी सेन्टर सर्वर रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाईड पर तुरन्त अपलोड करावें।
13. प्रभारी, कन्ट्रोल रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर। फोन नम्बर 0141—2225624, 2225000
14. निजी /रक्षित पत्रावली

23.12.11

(बी. एन. शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव